Jai Maa Saraswati Gyandayini
An International Multidisciplinary e- Journal
(Peer-reviewed, Open access & indexed, Online Journal)
Journal home page: www.jmsjournals.in, **ISSN: 2454-8367**
Vol. 08, Issue-I, July 2022

मध्यप्रदेश के ग्वालियर संभाग में पुलिस व्यवस्थाः एक समीक्षात्मक अध्ययन
(Police System in Gwalior Division of Madhya Pradesh: An Analytical Study)

Sudha Kumari Narvariya[a,*] **Dr. V.K. Shrotriya**[b,*]
[a]*Assistant Professor in Law, Govt. M.J.S. P.G. College, Bhind, Jiwaji University, Gwalior, M.P., (India).*
[B] *Former H.O.D. Department of Law, Govt. M.L.B. College of Excellence, Gwalior, Jiwaji University, Gwalior, M.P., (India).*

KEYWORDS

देश की सुरक्षा, आंतरिक व बाहरी कड़िया, पुलिस की भूमिका, पुलिस का कर्तव्य, पुलिस व्यवस्था, पुलिस कार्यप्रणाली।

ABSTRACT

देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा की कड़िया मजबूत हो। यदि किसी देश की आंतरिक व बाहरी कड़िया असुरक्षित हुई हो तो वह देश आंतकवाद व अपराधों का शिकार हो जाता है, कई बार तो विदेशी सत्ता के अधीन कार्य करना पड़ता है। किसी भी देश की सुरक्षा अति आवश्यक होती है, चाहे वह अंदरूनी सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा, दोनों अपनी जगह एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अब प्रश्न ये है कि बाहरी सुरक्षा क्या है? तो बाहरी सुरक्षा में हमारे देश की तीन तरह की सेनाएं काम करती हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना एवं अन्य सेनायें, जो कि सरकार द्वारा अनुमोदित होती है, और वह गुप्त रूप से भी काम करती हैं। अधिकतर बाहरी सुरक्षा के लिए जो सेनाएं काम करती हैं, वह बाहरी आक्रमणों को रोकती है, और देश की सीमा की सुरक्षा करती है। वैसे ही पुलिस का कार्य भी देश की आंतरिक सुरक्षा को बनायें रखना एवं सशस्त्र विद्रोह व आंतरिक विद्रोह को रोकना है। इस शोध पत्र के माध्यम से शोधार्थिनी द्वारा देश व प्रदेश की सुरक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में विश्लेषणात्मक अध्ययन कर आवश्यक सुझावों पर चर्चा करना है।

परिचय

मध्यप्रदेश के अस्तित्व में आने से पहले तक मध्य भारत में ग्वालियर स्टेट इंदौर स्टेट, विंध्य स्टेट, भोपाल स्टेट का अपना पुलिस तंत्र था। रियासतों के इस पुलिस तंत्र की कार्यशैली और उद्देश्य तो लगभग एक जैसे थे लेकिन वेतनमान, ओहदों और वर्दियॉ अलग–अलग थी। ग्वालियर पुलिस का मैनुअल 1853 में पहली बार प्रकाशित किया गया। ग्वालियर पुलिस में कोतवाल, थानेदार, सिपाही और चौकीदार जैसे पद सृजित थे। ग्वालियर स्टेट में शिवपुरी गुना और अशोकनगर जिले शामिल थे। ग्वालियर स्टेट में 1853 तक सैन्य बल तथा पुलिस बल के बीच कोई अंतर नहीं था, 1874 में पुलिस बल का पुनर्गठन किया गया और प्रसंज्ञेय तथा अप्रसंज्ञेय अपराधों के बीच अंतर कर दिया गया। ग्वालियर संभाग में पुलिस मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद ग्वालियर संभाग में 1 नवंबर 1956 में अपने लोकतांत्रिक स्वरूप में पुराने कानूनों के कवच में आम जनता की सुरक्षा के लिए सामने आए लगभग 64 साल के सफर में संभाग में डकैती उन्मूलन समस्या के साथ–साथ पुलिस ने ग्वालियर संभाग को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इस शोध पत्र के माध्यम से ग्वालियर संभाग में पुलिस व्यवस्था की यथास्थिति एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करना है।

पुलिस का अर्थ एवं परिभाषाः

ऐसा माना जाता है कि ''पुलिस'' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द "Politicia" या यूँ कह सकते है, कि इसी शब्द के समानार्थी लेटिन शब्द "Politia" से हुई है। कुछ ग्रीक अथवा लेटिन भाषा के अन्य शब्दों से "Polity" और "Policy" है। ग्रीक शब्द "Politcia" का अर्थ नागरिक अथवा राज्य या सरकार होता हैं। लेटिन भाषा के मूल शब्द "Politia" का अर्थ या तात्पर्य राज्य अथवा प्रशासन अथवा सभ्यता से है।[1] फ्रेन्च भाषा के तत्सम शब्द "Polis" का अर्थ किसी नगर अथवा पुरी है। शब्द "Polity" किसी शासन पद्वति के अन्तर्गत संगठित जन–समुदाय अर्थात् राजनीतिक रूप से गठित समुदाय अथवा राज्य तथा संविधान या राज्य शासन का भी द्योतक है।[2]

अध्ययन की आवश्यकता

प्रत्येक समाज अपने स्थायित्व एवं संगठन को बनाए रखने तथा अपने सदस्यों के बीच सहभाव कायम करने के लिए किसी न किसी तंत्र का विकास अवश्य करता है। पुलिस जन–नियंत्रण का एक ऐसा ही संस्थाबद्ध तंत्र है। प्रत्येक समाज में एक वैध उपकरण के रूप में पुलिस को शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मान्यता प्राप्त होती है। यही कारण है कि विश्व के सभी समाजों में व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस व्यवस्था प्रसिद्व है।

समस्या कथन

देश व प्रदेश की सुरक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में विश्लेषणात्मक अध्ययन कर आवश्यक सुझावों पर चर्चा करना है।

अध्ययन उद्देश्य

1. पुलिस का रवैया जनता के प्रति कैसा होता है? इसका अध्ययन कर पता लगाना है कि इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उददेश्य है।

* **Corresponding author**
***E-mail:** sudhanarwariya@gmail.com (Sudha Kumari Narvariya). https://orcid.org/0000-0002-5409-2321
****E-mail:** vinodkumarshrotriya@gmail.com (Dr. V.K. Shrotriya). https://orcid.org/0000-0001-8597-6077
DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v8n1.07
Received 10th June 2022; Accepted 28th June 2022; Available online 30th July 2022
2454-8367 /© 2022 The Journal. Publisher: Welfare Universe. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

2. पुलिस का रवैया **अपराधियों** के प्रति कैसा होता है? इसका अध्ययन कर पता लगाना है कि इस अध्ययन का एक प्रमुख उददेश्य है।
3. पुलिस अपराधों का निवारण करने मे **सकारात्मक भूमिका** निभाती है? इसका अध्ययन कर पता लगाना है कि इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उददेश्य है।

परिकल्पनायें–

प्रस्तुत शोध निर्धारित किये गये उद्देश्यों के आधार पर निम्नांकित परिकल्पनायें निम्न हैं

1. अपराध निवारण में पुलिस की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन (ग्वालियर संभाग के विशेष संदर्भ में) अध्ययन कर पता लगाना है कि पुलिस की कार्य प्रणाली वास्तविक में प्रभावशील है या नही।
2. पुलिस की वर्तमान कार्य प्रणाली से आमजन को न्याय मिल पाता है कि नही।

भारत में पुलिस व्यवस्था का प्रारंभः

भारत में पुलिस अभ्युदय एवं विकास के सम्पूर्ण काल को हम सुविधा की दृष्टिकोण से निम्नप्रकार तीन कालखण्डो में विभाजित कर सकते है–

1. प्राचीन काल से ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन काल तक
2. ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सन् 1947 तक
3. सन् 1947 से वर्तमान तक

पुलिस का कार्यात्मक संगठन –

पुलिस शब्द अत्यंत ही विस्तृत है और इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के संगठन होते हैं। सामान्यतथा पुलिस के कार्यात्मक संगठन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है–

1. सामान्य पुलिस– सामान्य प्रशासन में योग देने वाली पुलिस
2. सेना पुलिस
3. रेलवे पुलिस
4. गुप्तचर पुलिस
5. यातायात पुलिस
6. स्त्री पुलिस आदि।

पुलिस की प्रमुख विशेषताएं

- पुलिस राज्य द्वारा स्थापित न्याय तंत्र का एक अंगहोती है।
- यह राज्य के प्रतिनिधि के रूप में या अभिकर्ता के रूप में काम करती है ।
- पुलिस का प्रधान कार्य कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना है।
- पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है।
- पुलिस आपराधिक संहिता का प्रवर्तन करती है।
- यह कानून हंताओं को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष न्यायोचित दंड के लिए प्रस्तुत करती है।
- यह स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था एवं शांति स्थापना की दिशा में सदैव तत्पर तथा क्रियाशील रहती है।

ग्वालियर संभाग में पुलिस व्यवस्था का प्रारम्भः

मध्य प्रदेश जोकि ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविसेंस (सी.पी. एंड बरार) का हिस्सा हुआ करता था, का गठन सन 1861 में हुआ। नए राज्य के गठन के साथ ही पुलिस संगठन के गठन की कवायद आरंभ हुई और पुलिस को नाम दिया गया सेंट्रल प्रोविसेंस पुलिस लेफ्टिनेंट कर्नल एचडी ट्रेलर पहले इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त हुए। पुलिस का ढांचा तीन भागों में बांटा था, ग्रामीण शहर और खुफिया नामक पुलिस शाखाएं इंस्पेक्टर जनरल के अधीन काम करती थी। सीपी पुलिस में उस समय 24 अंग्रेज अधिकारी, 6108 पैदल सिपाही, 613 घुड़सवार सिपाही का बल कार्यरत था। पूरे प्रदेश को नियंत्रित करने 12 पुलिस अधीक्षक और 9 सहायक पुलिस अधीक्षक तैनात किए गए थे। सीपी पुलिस के इतिहास में सन 1864 का साल महत्वपूर्ण था। पुलिस संगठन को मजबूत बनाने पहला ट्रेनिंग स्कूल खोला गया और कामकाज के नियम बनाए गए। पुलिस मेन्युअल भी इसी वर्ष अस्तित्व में आया। सीपी पुलिस की वर्दी पगड़ी, कोट, पतलून, पट्टा थी[3]।

मध्यप्रदेश के अस्तित्व में आने से पहले तक, मध्य भारत में ग्वालियर स्टेट इंदौर स्टेट, विंध्य स्टेट, भोपाल स्टेट का अपना पुलिस तंत्र था। रियासतों के इस पुलिस तंत्र की कार्यशैली और उद्देश्य तो लगभग एक जैसे थे लेकिन वेतनमान, ओहदों और वर्दियॉ अलग–अलग थी। ग्वालियर पुलिस का मैनुअल 1853 में पहली बार प्रकाशित किया गया। ग्वालियर पुलिस में कोतवाल, थानेदार, सिपाही और चौकीदार जैसे पद सृजित थे।[4] ग्वालियर स्टेट में शिवपुरी गुना और अशोकनगर जिले शामिल थे।

ग्वालियर स्टेट में 1853 तक सैन्य बल तथा पुलिस बल के बीच कोई अंतर नहीं था, क्योंकि दोनों हैसियत से काम करने वाला व्यक्ति निकाय एक ही था। सेना के ही एक भाग को पुलिस के कर्तव्य सौंप दिए गए थे। उसे गिराई कहा जाता था, कुछ जिलों में पुलिस का नाम आज भी चलता है। पुराने अभिलेखों में ''बरकन्दाज'' ''कोतवाल'' आदि शब्दों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि कुछ सुसंगठित स्थानीय ऑफिस थे, जो जिला कर्मचारियों की सुरक्षा की देखभाल करते थे, किंतु उनके कर्तव्य सुनिश्चित नहीं थे। इस विभाग के कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते सामान्यतः या तो दरवार या इजारेदारों द्वारा जिये जाते थे।

ग्वालियर के लश्कर में निगरानी तथा मेवातीयों का एक विशेष दल बनाया गया था। 1853 इजारेदारी प्रथा की समाप्ति के साथ–साथ नियमित चौकीदार रखे गए। 1853 के पुलिस रेग्यूलेशन में प्रसंज्ञेय तथा अप्रसंज्ञेय अपराधों में कोई अंतर नहीं किया गया है और पुलिस को सभी मामलों में संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्तियाँ प्राप्त थी। पुलिस कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्रयोग में लाती थी। कर्मचारियों में शहर तथा जिले के लिए चौकीदार, कॉन्स्टेबल ईमानदार तथा कोतवाल होते थे, जो जिला अधिकारियों के प्रति उत्तरदाई होते थे।

1874 में पुलिस बल का पुनर्गठन किया गया और प्रसंज्ञेय तथा अप्रसंज्ञेय अपराधों के बीच अंतर कर दिया गया। फिर भी पुलिस तथा दांडिक शक्तियॉ संयुक्त ही रही और जिला अधिकारी अपने प्रभार के अंतर्गत आने वाली पुलिस पर नियंत्रण रखते रहे।

1889 में पुलिस विभाग के पुनर्गठन के साथ–साथ पुलिस द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली न्यायिक शक्तियॉ वापस ले ली गई, और पुलिस को एक नायब दीवान के अधीन कर दिया गया जो पुलिस महानिरीक्षक होता था। इसके साथ साथ ही उप पुलिस महानिरीक्षक (डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल), अधीक्षक (सुपरिटेंडेंट) निरीक्षक (इंस्पेक्टर) तथा उपनिरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) नियुक्त किए गये और उनके कर्तव्य सुनिश्चित कर दिए गये। 1889 में पुलिस मैन्युल प्रकाशित किया गया। 1895 में प्रान्त पुलिस को सर सूबा के अधीन दे दिया गया और महानिरीक्षक तथा उपमहानिरीक्षक के पद समाप्त कर दिये गये। जिला अधीक्षक नायब सूबा बना दिया गया, जिसे गिरफ्तारी की सीमित शक्तियों के साथ पुलिस का प्रभार सौंप दिया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अर्थात् 1903 में, महानिरीक्षक का पद पुनः कायम किया गया और पुलिस विभाग को जिला अधिकारियों के हाथों से वापस ले लिया गया।

20 से अधिक मध्य देशीय रियासतों के विलीनीकरण द्वारा मध्यभारत संघ का 1948 में निर्माण हुआ और इसके साथ ही पुनः पुलिस विभाग का पुनर्गठन किया गया। इस संघ के निर्माण के साथ ही पुलिस बल प्रांतीय आधार पर गठित किया गया। इनमें से प्रत्येक रियासत का अपना पुलिस बल था और उनके गठन का स्वरूप भिन्न–भिन्न था।

इंदौर और ग्वालियर राज्यों में भली–भांति को सुसंगठित पुलिस बल था, तथा छोटी रियासतों में उसका स्तर काफी गिरा हुआ था[5]। इन सब इकाइयों को मिलाकर मध्यभारत पुलिस दल का गठन किया गया। पुलिस ऑर्डिनेंस 2 संवत 2005, जिसमें संघ के पुलिस बल के एकीकरण और गठन की व्यवस्था थी, 2 नवंबर 1947 में प्राख्यपित किया गया था और बाद में 1946 में उनका स्थान विधान ने ले लिया[6]।

जनवरी 1949 में पुलिस बल को राजपत्रित संवर्ग को अंतिम रूप दिया गया। इसमें एक पुलिस महानिरीक्षक चार पुलिस उपमहानिरीक्षक और 25 पुलिस अधीक्षक तथा 25 उप अधीक्षक थे। राज्य तीन क्षेत्रों में विभाजित था और प्रत्येक क्षेत्र एक पुलिस उपमहानिरीक्षक के अधीन था। एक पुलिस उपमहानिरीक्षक को गुप्तचर विभाग का कार्यभार सौंपा गया था और इस विभाग का गठन देश के अन्य भागों के गुप्तचर विभागों के आधार पर किया गया था। इस विभाग के प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक की सहायता के लिए पुलिस अधीक्षक के पद के तीन अधिकारी थे– एक विशेष शाखा का प्रभारी, दूसरा अपराध शाखा का प्रभारी तथा तीसरा जरायम पेशा जातियों का प्रभारी। उपमहानिरीक्षक के क्षेत्रों (रेंजों) के अनुरूप ही गुप्तचर विभाग में पुलिस अधीक्षक के पद के तीन क्षेत्रीय अधिकारी (जोनल ऑफिसर) थे।[7]

दतिया रियासत उस समय ग्वालियर स्टेट में शामिल नहीं थी। दतिया रियासत की पुलिस बल स्टेट आर्मी का हिस्सा था। दतिया स्टेट ने पुलिस को दो भागों में थाना और पुलिस स्टेशन में बाँट रखा था। 1948 में दतिया स्टेट पुलिस कार्यप्रणाली में एक बदलाव आया जब दतिया स्टेट को विंध्य रियासत में मिला दिया गया[8]। अंग्रेज पुलिस अधिकारी एजी स्कॉट विंध्य रियासत पुलिस के पहले इंस्पेक्टर जनरल हुए। विंध्य पुलिस को सुगठित और संगठित करने के लिए सागर और नौगांव में ट्रेनिंग स्कूल खोले गए। दतिया पुलिस भी तब इसका हिस्सा थी।

1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य के मध्यभारत, पुराने मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों बरार को छोड़कर मिलाकर हुआ। प्रदेश के गठन के साथ ही प्रदेश की पुलिस अस्तित्व में आई जिसे नाम दिया गया मध्य प्रदेश पुलिस। उस समय प्रदेश में 739 पुलिस थाना 17 पुलिस थाना हुआ करते थे उस समय 23 नए थाना अस्तित्व में आए। 31 दिसंबर 1960 में मध्यप्रदेश पुलिस में 230 राजपत्रित अधिकारी और 42526 पुलिस कर्मचारी थे।[9]

ग्वालियर संभाग में पुलिस मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद ग्वालियर संभाग में 1 नवंबर 1956 में अपने लोकतांत्रिक स्वरूप में पुराने कानूनों के कवच में आम जनता की सुरक्षा के लिए सामने आए लगभग 64 साल के सफर में संभाग में डकैती उन्मूलन समस्या के साथ–साथ पुलिस ने ग्वालियर संभाग को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

महतवपूर्ण वाद

अमर सिंह बनाम म.प्र. राज्य,[10]

के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि निम्न पद पर पदावनति को सजा की व्यवस्था केवल निर्धारित अवधि के लिए ही की गई है ऐसी सजा के आदेश में यह भी निर्देश दिया जाना आवश्यक है कि अधीनस्थ पुलिस सेवा के अपचारी सदस्य को ऐसी पदावनति की अवधि में वेतन वृद्धि होगी या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति पर पदानवति का प्रभाव उसके अग्रिम वेतन वृद्धि पर पड़ेगा या नहीं। निम्न पद पर पदावनति करने की सजा विनिर्दिष्ट अवधि तक ही चलती है। अतः यह आवश्यकता है कि यह कर्मचारी के सेवाकाल में ही उसके सेवानिवृत्त होने के पूर्व ही समाप्त हो जानी चाहिए ।

रमेशचन्द्र बनाम स्टेट ऑफ एम.पी.,[11]

के मामले में याचिकाकर्ता पुलिस मुख्य आरक्षक के रूप में सेवारत था उसे अन्य किसी विभाग की तुलना में अधिक अनुशासन से उसके कर्तव्य को करना होता है। याचिकाकर्ता के विरूद्ध घूस माँगने के सम्बन्ध में गंभीर आरोप था। विभागीय जाँच की गई थी, जिसमें उसे सेवा से हटाए जाने का दण्ड दिया गया. था। जिसे अधिकरण के समक्ष इस दण्ड को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के द्वारा दी गई इस चुनौती को अधिकरण ने निरस्त कर दिया था। इसके व्यथित होकर उच्च न्यायालय में कार्यवाही की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसको सेवा से हटाए जाने का दण्ड बिना अधिकारिता के है, क्योंकि उसे डी.आई.जी. ने नियुक्त किया था जबकि उसे एस.पी. महोदय ने हटाने का आदेश दिया था। म.प्र. उच्च न्यायालय का अभिमत रहा कि सेवा से हटाए जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय को वैधानिक तौर पर प्राधिकृत होना कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता के विरूद्ध भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित हो गया था। परिणामतः सेवा से हटाए जाने का आदेश को पुष्ट किया गया।

एच. आर. कौरव बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य[12]

के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि उपनिरीक्षक अर्जीदार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियों एवं दांडिक मामले में आरोप एक समान थे। जिन आरोपों के लिए अर्जीदार की जाँच की गई थी, उनसे दांडिक न्यायालय द्वारा अर्जीदार को दोषमुक्त किया गया। अर्जीदार विनियम 241 के उपबंधों के अनुसार पुनःस्थापना के लिए हकदार होगा तत्पश्चात् विभागीय जाँच जारी नहीं रह सकती है।

सत्य प्रकाश तिवारी बनाम म.प्र. राज्य और 3 अन्य[13]

के मामले में विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी को संदेह का लाभ देकर किया महानिरीक्षक की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् अधीक्षक उक्त अधिकारी के सम्बन्ध में विभागीय जाँच कर सकता है। अधीक्षक ने ऐसी कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की विभागीय कार्यवाही अवैधानिक विभागीय जाँच एवं आपराधिक कार्यवाहियाँ समान तथ्यों, साक्ष्यों एवं साक्षियों पर आधारित विभागीय कार्यवाहियों के निष्कर्ष विधि के उपबंधों के प्रतिकूल याचिका मंजूर।

निष्कर्ष

पुलिस का कार्य समाज में तेजी से बढ़ रहे अपराधों का निवारण एवं रोकथाम के संबंध मे अति आवश्यक कदम उठाना है। दशकों से पुलिस ने समाज में अपराधों के बढ़ते कदमों पर अंकुश लगाने का कार्य किया है। समाज मे सर्वविदित है कि लोक कल्याण व समाज मे अपराधों को रोकने व आपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने इत्यादि सम्बन्धी विधि में बहुत से नियम कानून है। साथ ही साथ माननीय् उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर आदेशिकाएँ, नियम व इससे संबन्धित दिशानिर्देश प्रतिपादित किये गये है, लेकिन फिर भी समाज में पुलिस को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियाँ आज भी विद्यमान है। कई लोग ऐसा समझते और मानते है कि पुलिस अपना कार्य सही ढंग से नहीं करती है और मनमाने पन तरीके से कार्य को करती है। ऐसा क्यों है? हर सिक्के के दो पहलू होते है, अगर पुलिस समाज मे अच्छा

कार्य करती है तो दूसरी ओर पुलिस द्वारा किये गये कर्तव्यों व विधि के उल्लंघन व पुलिस हिरासत में यातना और मौतों की बढ़ती घटनाएं एक परेशान करने वाला कारक रही हैं। इसलिए, पुलिस की जमीनी स्तर की क्षमता का निर्माण उनके पहले उत्तरदाता के रूप में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सुझावः

शोधार्थिनी द्वारा किए गए शोध कार्य एवं निष्कर्ष के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए–

1. पुलिस जनता की मदद के लिए
2. पुलिस का जनता के साथ व्यवहारिक होना
3. पुलिस का निष्पक्षता से कार्य करना
4. पुलिस का आपराधिक विरोधी होना
5. पुलिस का आधुनिक शस्त्रों से सुसजित होना
6. पुलिस का आधुनिक तकनीकि से सुसजित होना
7. पुलिस का राजनैतिक प्रभाव से मुक्त होना
8. पुलिस का विधि कार्यो के प्रति उत्तरदायी होना
9. पुलिस कर्मियों का वेतनमान आर्थिक वृद्वि के अनुसार बढ़ना चाहिये
10. पुलिस कर्मियों की भर्ती जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिये
11. पुलिस कर्मियों की कार्य अवधि 8 घण्टे होनी चाहिये
12. पुलिस के कानूनों में बदलाव होने की आवश्यकता है।
13. पुलिस भ्रष्टाचार के लिए कड़े कानून बनने चाहिये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः

[1] डॉ. बसन्तीलाल बावेल, पुलिस प्रशासन, अन्वेषण एवं मानवाधिकार राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2003, पृष्ठ 2।

[2] वही, पृष्ठ 2।

[3] मध्यप्रदेश संदर्भ 2011, प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश पृ. 556

[4] वही।

[5] रिपोर्ट ऑन दि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्यभारत, 1948–49, पृ. 23।

[6] वही, पृ. 24।

[7] वही, पृ. 25।

[8] Datia Gayetteers, District Gayetteers Department Madhya Pradesh Bhoopal, 1977, P.220

[9] वही, पृ. 220।

[10] 1986 मनिसा हा. को. नोट 105 पेज 320 = 1986 जे.एल.जे. 596 = 1986 एम.पी. एल.जे. 682

[11] 2003(1) एम.पी.एच.टी. 56:2003

[12] 2009(2) एम.पी.एल.जे. 189

[13] 2008(I) एम.पी.जे.आर. 210(म.प्र.)

अन्य सन्दर्भ ग्रन्थः

1. एन.सी. बंधोपाध्याय, कौटिल्य एन एक्सपोजीशन ऑफ हिज सेशल आइडियल एंड पालिटिकल थिंकिग, अध्याय दस, 1928।
2. बी.एन.मल्लिकय पुलिस एक दार्शनिक विवेचन, यूनाइटेड इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली, वर्ष 1970, पृ. 22–23।
3. डॉ. डी. एच. टाडाः मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम एवं विनियमः खेत्रपाल लॉ हाउस, इन्दौर, पेज न. 190।
4. डॉ. परिपूर्णानन्द वर्मा, भारतीय पुलिस (ई.पू. 3000 से 1984 तक) विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1984।
5. डॉ. ना. वि. परांजपेः अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासनः सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स्, षष्ठम संस्करण 2011, पेज न. 275।
6. डॉ. राजेन्द्र पाराशर, पुलिस एट एडमिनिस्ट्रेशन, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशनस, नई दिल्ली, वर्ष 1986, पृ. 15।
7. पुलिस विज्ञान, हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका, अंक–100, जुलाई सितम्बर 2007, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली पृष्ठ 14।
8. दि लॉ रिलेटिंग टू इण्डिया एण्ड ईस्ट इण्डिया कम्पनी, 5वां संस्करण, डब्ल्यू.एम. एच. एलेव एण्ड कम्पनी, लन्दन 1865 पृ.194।
9. रिपोर्ट आफ इण्डियन पुलिस कमीशन, 1902–03 (शिमला गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल ट्रेनिग आफिस 1903) पृ.8।
10. सुल्तान अकबर खां, पॉवर पुलिस एण्ड पबिलक, विशाल पब्लिकेशन्स कुरूक्षेत्र, वर्ष 1983, पृ. 17–18।
11. सतीशचन्द्र भटनागर, आपराधिक विवेचना
12. यादव रामलाल सिंह (2016) आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था, विजन बुक प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली, प्रथम संस्करण ।
13. श्रीवास्तव आर. एस. (1990) विकासशील समाज में पुलिस की भूमिका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
14. ललितेश्वर (1994) समग्र न्याय व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।
15. नवल हरीश (1992) मादक पदार्थ रू पुलिस की भूमिका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
16. आदिल महेन्द्र सिंह (2005) संगठित अपराध पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।
17. कटारिया राजपाल (2009) भ्रष्टाचार निवारण विधि ओरिएंट पब्लिशिंग कंपनी नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण।
18. रतन लाल तथा धीरज लालू, (2015) भारतीय दंड संहिता लेक्सिस, नेक्सिस, गुड़गाँव, हरियाणा 34वाँ संस्करण हिन्दी रूपांतरण।
19. बजाज चमन लाल, गुप्ता कैलाश नाथ (2010) क्रिमिनल
20. माइनर एक्ट्स सेंट्रल डॉमीनियन लॉ डिपो जयपुर।
21. कपूर शत्रुजीत (आरक्षित द्वितीय संस्करण. 2012) आर्थिक अपराधों का अन्वेषण, राज्य अपराध शाखा हरियाणा ।
22. कुमार अमन एवं सिंह उदयभान (2018) भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण।
23. पुलिस विज्ञान जनवरी–मार्च 1987 अंक 18. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय नई दिल्ली। पुलिस विज्ञान अप्रैल–जून 1987 अंक 19 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

बेअर एक्टः

1. भारतीय दण्ड संहिता. 1860
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
3. पुलिस अधिनियम, 1861
4. पुलिस अधिनियम, 1888
5. पुलिस अधिनियम, 1949
6. पुलिस (द्रोह–उद्दीपन) अधिनियम, 1922
7. पुलिस दल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम, 1966
8. पुलिस दल (अधिकारों पर निर्बन्धन) नियम 1966
9. मध्य प्रदेश विषेश सशस्त्र बल अधिनियम, 1968
10. मध्य प्रदेश विषेश सशस्त्र बल नियम, 1973

प्रमुख वेबसाइटः

1. https://indiankanoon.org/
2. https://www.wikipedia.org/
3. https://ncrb.gov.in/
4. https://gwalior.nic.in/en/
5. https://shivpuri.nic.in/en/
6. https://guna.nic.in/en/
7. https://ashoknagar.nic.in/en/
8. https://datia.nic.in/en/

ऑनलाइन पत्रिकायें/जरनल

1. Jai Maa Sarawati Gyandayini: An International Multidisciplinary e-Journal, Web: www.jmsjournals.in
2. Research Inspiration: An International Multidisciplinary e-Journal, Web.: www.researchinspiration.com
3. Research Ambition: An International Multidisciplinary e-Journal, Web.: www.researchambition.com
4. Legal Research Development: An International Multidisciplinary e-Journal, Web.: www.lrdjournal.com

दैनिक समाचार पत्र

1. दैनिक भास्कर
2. दैनिक जागरण
3. अमर उजाला
4. पत्रिका
5. टाइम्स ऑफ इण्डिया